न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धाराः–88, 53 आरटीए
प्रकरण संख्याः– 06/2020

1. दयाराम
2. राधेश्याम

पिसरान मोहनलाल जाति सुथार निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1. शान्ती पत्नी श्री मोहनलाल जाति सुथार निवासी केहरवाला तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. मन्जू पुत्री मोहनलाल पत्नी राम कुमार जाति सुथार निवासी चक 5–7 आबादी, पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. बनारसी देवी पुत्री मोहनलाल पत्नी भीमसेन जाति सुथार निवासी नीमवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
4. सुमन पुत्री मोहनलाल पत्नी रामेश्वर जाति सुथार निवासी रोहिड़ावाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
5. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
6. तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री कुन्दनलाल अधिवक्ता वादीगण
श्री विकास शर्मा अधिवक्ता प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी

निर्णय

दिनांक :– 25.01.2021

इस वाद के निस्तारण हेतु संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की ओर से वाद वंशावली सहित इन तथ्यो के साथ पेश हुआ कि स्व0 मोहनलाल के नाम तहसील टिब्बी के चक 8 आर.डब्लयू.डी. के खाता स0 35 में कुल 0.839 हैक्टेयर तथा चक 10 आर.डब्लयू.डी. के खाता स0 76 में 1.771 हैक्टेयर तथा तहसील नोहर के ग्राम सोनड़ी के खाता स0 436/426 में कुल 5.476 हैक्टेयर में से 91 हिस्सा (1.151 हैक्टेयर) भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है यह कृषि भूमि पैतृक सम्पति है अर्थात स्व0 मोहनलाल को उसके पुरखो से प्राप्त हुई है उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्मजात हिस्सा है यह कि स्व0 मोहनलाल ने अपने जीवनकाल में वाद पत्र की चरण स0 3 में वर्णित भूमि का बंटवारा मौखिक रूप से वादीगण एंव प्रतिवादी स0 1 के मध्य कर दिया था बंटवारा में वादी स0 1 दयाराम को चक 10 आर.डब्लयु.डी. के खाता स0 76 प0 न0 234/368 मु0 न0 29 के किला न0 1/1/0.228 हैक्टेयर, 1/2/

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

0.025 हैक्टेयर, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक सालम कुल तादादी 1.265 हैक्टेयर कृषि भूमि प्राप्त हुई व वादी स0 2 राधेश्याम को चक नम्बर 10 आर.डब्ल्यु.डी. के खाता स0 76 के प0 न0 236/367 मु0 न0 26 के किला न0 11, 12 प्रत्येक सालम, चक 8 आर.डब्ल्यु.डी. के खाता स0 35 की कुल 0.839 हैक्टेयर तादादी 1.345 हैक्टेयर कृषि भूमि प्राप्त हुई तथा प्रतिवादिया स0 1 शान्ती देवी को तहसील नोहर के ग्राम सोनड़ी के खाता स0 436/426 में स्व0 मोहनलाल के हिस्सा की 91 हिस्सा (1.151 हैक्टेयर) कृषि भूमि प्राप्त हुई है यह कि स्व0 मोहनलाल के स्वर्गवास के उपरान्त वादीगण एंव प्रतिवादिया स0 1 ही उपरोक्त (वाद पत्र की चरण स0 4 के अनुसार) कृषि भूमि पर काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है व अपनी भूमि के खातेदार काश्तकार है उपरोक्त कृषि भूमि वादीगण एंवम प्रतिवादिया स0 1 के नाम दर्ज नहीं होने के कारण उनके विधिक अधिकारो पर वेजा असर पड़ता है इसलिए वादीगण डिक्री घोषणात्मक एंवम खाता विभाजन की इस अमर की प्राप्ती के अधिकारी है कि वादीगण अपनी अपनी भूमि के खातेदार काश्त कार है यह कि खाता संयुक्त रहने से वादीगण का आपस में विवाद रहता है इसलिए वादीगण अपना खाता संयुक्त रहने से विवाद से बचने के लिये अपनी–अपनी भूमि का खाता अलग–अलग करवाकर रकमराज अपने–अपने नाम से कायम करवाने की डिक्री के अधिकारी है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र रिपोर्ट कार्यालय से होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 की ओर से राजीनामा तथा प्रतिवादी स0 2 ता 4 की ओर जवाब दावा पेश किया गया इसी दौरान वकील वादी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद में नोहर तहसील की भूमि भी शामिल है जिसमें तहसीलदार नोहर को पक्षकार बनाया जाना जरूरी है अधिवक्ता को सुना गया व तहसीलदार नोहर को पक्षकार स0 6 के रूप में संयोजित किये जाने के आदेश दिये गये अधिवक्ता ने संशोधित शीर्षक वाद पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रतिवादी स0 6 को तलवी के आदेश जारी किये गये तत्पश्चात प्रतिवादी स0 5 व 6 की ओर से जवाव स्टेट पेश किया गया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किये गये। वादीगण ने अपने साक्ष्य के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया व वादीगण की ओर से साक्ष्य यह कहते हुये समाप्त करवाई की वाद में पक्षकारान का राजीनामा हो चुका है इसलिए और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है।

वहस वकील वादीगण सुनी गई वकील वादीगण ने जाहिर किया कि वाद में प्रभावित सभी पक्षकारान द्वारा अनुतोष स्वीकार करते हुये राजीनामा, जवाव दावा व जवाव स्टेट पेश कर तस्दीक करवा दिया है अपनी साक्ष्य में शपथ पत्र पेशकर दिया है पत्रावली पर आई साक्ष्य के विरूद्व किसी

प्रकार का कोई विरोधी साक्ष्य पत्रावली पर नहीं आया या ना ही किसी पक्षकार की ओर से दावा या अनुतोष का विरोध किया गया है सभी पक्षकार सहमत है जवाब स्टेट में भी कोई विरोध वाद वादीगण का नहीं है अतः दावा डिक्री किया जावे।

बहस वकील मनन किया पत्रावली पर उपस्थित रिकार्ड व साक्ष्य का अवलोकन किया हैं वादीगण ने तथा प्रभावित प्रतिवादी स0 1 ने राजीनामा तथा प्रतिवादीगण स0 2 ता 4 ने जवाब दावा व प्रतिवादी स0 5 से 6 ने जवाब स्टेट पेश कर तस्दीक करवाया है वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया है व दस्तावेज पेश किये है पत्रावली पर दावा के अनुतोष के विरूद्ध कोई भी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। जवाब स्टेट में भी दावा का कोई विरोध नहीं है। इसलिए वाद वादीगण डिक्री होने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण डिक्री कर आदेश दिया जाता है कि वादी स0 1 दयाराम को चक 10 आर.डब्लयु.डी. के खाता स0 76 प0 न0 234/368 मु0 न0 29 के किला न0 1/1/0.228 हैक्टेयर, 1/2/0.025 हैक्टेयर, 10, 11, 20, 21 प्रत्येक सालम कुल तादादी 1.265 हैक्टेयर कृषि भूमि प्राप्त हुई व वादी स0 2 राधेश्याम को चक नम्बर 10 आर.डब्लयु.डी. के खाता स0 76 के प0 न0 236/367 मु0 न0 26 के किला न0 11, 12/0.506, चक 8 आर.डब्लयु.डी. के खाता स0 35 की कुल 0.839 हैक्टेयर कुल 1.345 हैक्टेयर कृषि भूमि के तथा प्रतिवादिया स0 1 शान्ती देवी को तहसील नोहर के ग्राम सोनड़ी के खाता स0 436/426 में स्व0 मोहनलाल के हिस्सा की 91 हिस्सा (1.151 हैक्टेयर) ब0हि0ब0 कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार वादीगण खाता विभाजन का आदेश दिया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.01.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी टिब्बी

के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व इसी अनुसार वादीगण का खाता विभाजन का आदेश दिया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया जाता हैं।

निज....X....निल.......X....मुब्लिक......X......निल......X.......बाबत्..........X..........
निल......X......खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तक.........X..........अदा करें।

वसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 25·01·2021 को जारी किया गया।

(मांगीलाल)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी